न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
भानाराम पुत्र गीगाराम जाति मेघवाल निवासी रून्दिया सोजत।		1. तहसीलदार सोजत (भूमिधारी) 2. जिला वन अधिकारी, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महेन्द्र ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 29.11.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 191/2011 बअनवान भानाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम रून्दिया तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 68 रकबा 0.8500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करने का निवेदन किया। जिसका आधार यह था कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का दीर्घकालीन कब्जा काश्त था, वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई, किन्तु अपीलांट का उपरोक्त भूमि पर बिना किसी बाधा के निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर रेस्पोडेन्टस संख्या 02 के नाम दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रून्दिया तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 68 रकबा 0.8500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट कैम्प में त्वरित न्याय प्रदान कराने की मंशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3594/2006 में दिनांक 22.08.2006 में निर्णय पारित करते हुए यह व्यवस्था प्रदान की है कि "Adverse Possession-Requirements to prove-Defendants claiming adverse possession are required to show who was real owner-Mere belief that Government and not plaintiff was real owner inconsequential-No question of Possession being adverse if defendants are not sure who was ture owner since in such situation denying title of real owner also does not arise-Contrary view of High Court not sustainable First Appellate Court's finding that defendants were in possession three years prior to filing of suit not having been upset, no justification for High Court in setting aside First Appellate Court to decree declaring title in Plaintiff's favour." इसी प्रकार आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 में माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 232. Limitation Act, 1963 Article 64 & 65 Reference-Khatedari rights whether can be conferred on the basis of the adverse possession-Provisions of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act-No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession & Courts can not conferred the tenancy rights-BOR has no

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

legislative power to lay down a new law-Held, No renancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

The questions of referred by the learned Division Bench of this Court of consideration of the Full Bench, are as under :-

1. Whether the Larger Bench in its judgment "Bagga vs. Surendra singh" as reported in 1991 RRD page 1 has laid down a good law by providing for conferment/acquistion of khatedari rights on a trespasser on the basis of 'adverse possession' vis-a-vis the provision of the Rajasthan Tenancy Act of 1955 as a measure of land reform?
2. Whether extinguishment of tenancy right under Section 63(1)(iv) of the Act of 1955 creates khatedari right in trespasser on the basis of adverse possession; or such land afrer extinction of tenancy right reverts of landholder-the State Government?
3. Whether the Board of Revenue has legislative power to lay down a new law for grant of khatedari right in addition to and over and above what is provided under the Act, as has been done by the Larger Bench of this Court in 1991 RRD page 1?
4. Whether the judgment of the Larger Bench as reported in 1991 RRD page 1 should be revoked/annulled in light of the provision of the Act of 1955 and judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as reported in RLW 2008(1) RJ page 1101."

इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 191/2011 बअनवान भानाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली